निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः 4826/दि0ज0स0/लेखा/बजट/2020–21 लखनऊ दिनांकः // फरवरी, 2021

आहरण वितरण अधिकारी,
मुख्यालय।

विषयः– अनुदान संख्या–79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02 समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–05 समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना–24 वृहद निर्माण कार्य से संबंधित जी0 एस0 टी0 के भुगतान हेतु बजट आवंटन 'जनपद –कन्नौज'।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–05 समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों (कन्नौज) की स्थापना–24–वृहद निर्माण कार्य से संबंधित जी0 एस0 टी0 के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या–15/2021/1/48666/2021/File no. 65–2099/842/2019–2 दिनांक–02.02.2021 के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका आवंटन रू0 49,83,100/–(रू0 उन्चास लाख तिरासी हजार एक सौ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन संलग्नकानुसार एतद् द्वारा आपके निवर्तन पर रखी जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी0एम0–8 निर्धारित प्रपत्र पर एवं कोषागार डी0डी0ओ0 रिकन्सीलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस सम्बंध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नही किया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक भी वांछित सूचनायें प्राप्त नही होती है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।
3. आवंटित धनराशि में से समय–समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी0एल0ए0 में न रखी जाये। आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत इसी वित्तीय वर्ष में व्यय आपका उत्तरदायित्व है।
4. जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
5. धनराशि/आहरण वितरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020–बी–1–149/दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश संख्या– 5/2020/बी–1–196/दस–2020–231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश संख्या– 8/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18.05.2020, शासनादेश संख्या–10/2020/बी–1–564/दस–2020–231/2020 दिनांक 29.09.2020 तथा शासनादेश संख्या–1/2021/बी–1–141/दस–2021–231/2020 दिनांक 20.01.2021 यथासंशोधित में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।
6. तद्दिनांक आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की दशा में ही अगली धनराशि आवंटित की जायेगी।
7. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों का समस्त दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
8. निर्माण कार्य की अद्यतन टेक्निकल रिपोर्ट एवं गुणवत्ता रिपोर्ट विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व होगा।
9. आगणन से सेंटेज चार्ज नियमानुसार निर्धारित सीमा के अनुसार ही लिया जायेगा तथा लेबर सेस की निर्धारित धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राज्य कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के संबंध में उ0प्र0 बजट मैनुयल के प्रस्तर–212 (vii) में दिये गये दिशा–निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
13. शासनादेश संख्या– 08/2020/144/65–2–2020–26(विविध)/2012टी0सी0।। दिनांक–24.01.2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
14. शासनादेश संख्या–15/2021/1/48666/2021/File no. 65–2099/842/2019–2 दिनांक–02.02.2021 की शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनूप कुमार)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अनु0–2
2. महालेखाकार हकदारी/ऑडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक।
5. श्री राहुल अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक को बजट आवंटन एवं शासनादेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आबिद अली अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

divyan bary letter

प्रेषक,

अजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2021

विषय:- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-कन्नौज के निर्माण कार्य से संबंधित जी0एस0टी0 मद में भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-3038/दि0ज0स0वि0/समेकित-कन्नौज/जी0एस0टी0/2020-21 दिनांक 05.11.2020, जिसमें समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-कन्नौज के निर्माण कार्य से संबंधित जी0एस0टी0 मद में भुगतान हेतु रू0 49.831 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में आपके पत्र संख्या-3038/दि0ज0स0वि0/समेकित-कन्नौज/जी0एस0टी0/2020-21 दिनांक 05.11.2020 एवं शासनादेश संख्या-08/2020/144/65-2-2020-26(विविध)/2012टी0सी0।। दिनांक 24.01.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-कन्नौज के निर्माण कार्य से संबंधित जी0एस0टी0 मद में भुगतान हेतु रू0 49.831 लाख **(रूपये उन्चास लाख तिरासी हजार एक सौ मात्र)** की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन निश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(iii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/ 2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020, शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 तथा

शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी, 2021 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(v) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(vi) यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा तथा आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(viii) **प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।**

(ix) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(x) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये की जा रही, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।

(xi) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज आर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) शासनादेश संख्या-08/2020/144/65-2-2020-26(विविध)/2012टी0सी0।। दिनांक 24.01.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 व शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी, 2021 में निहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।

तदसंख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी, कन्नौज।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ ।
6. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कन्नौज ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1 ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।